उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-108/2017/1117/92-2-17-164जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 11 जुलाई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों के निर्माण कार्यो में धन की उपलब्धता के उपरान्त भी समय से कार्य न कराने, निमार्ण कार्यो का समय से निरीक्षण न किये जाने, गुणवत्तापूर्वक कार्य न कराये जाने, निविदा कार्य में निष्पक्षता संदिग्ध होने, सरकारी कार्यो में रूचि न लेने एवं उपलब्ध धनराशि समय से व्यय न कर पाने तथा कार्यस्थल का चयन सुचारू रूप से न किये जाने आदि अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-देवीपाटन के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या(दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-108/2017/1117(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-45/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/16-17 दि0 19.04.2017 तथा जिलाधिकारी, श्रावस्ती के पत्र सं0-1908/7-पं0/स0ले0/सी0सी0रोड/016 दि0 22.03.16 एवं पत्र संख्या-20487/ एस0टी0-कैम्प/2017 दि0 28.04.2017 की संलग्नक सहित छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-देवीपाटन मण्डल के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित शासन को (दो प्रतियों में) 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(संलग्नक-यथोक्त)**

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0)अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- श्री राजेन्द्र प्रसाद,तत्का0 अधिशासी अभियंता,ग्रा0अ0वि0,प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति अधी0अभियंता, परि0-देवीपाटन मण्डल द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in